उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-4/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010
लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 96 की उपधारा(2) के खण्ड (तेईस) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-45/1040 /2018/तीस-4-2018-4(02)/2010, दिनांक 19 जुलाई, 2018 द्वारा गजट में पूर्व में प्रकाशित किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 कही जाएगी;
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-125 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में, नियम-125 में, नीचे स्तम्भ 1 में दी गयी सारणी के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी सारणी रख दी जायेगी अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान सारणी				स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित सारणी			
क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम	क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने, अन्तरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए आवेदन-पत्र फीस		64	1	अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट देने, उसका नवीकरण करने, अन्तरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए आवेदन-पत्र फीस		64
					(क) मोटर कैब (बाइक टैक्सी)	500.00	
	(क) मोटर कैब	500.00			(ख) मोटर कैब	600.00	
	(ख) ओमनी बस या माल वाहन	1000.00			(ग) ओमनी बस या माल वाहन	1200.00	
2	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए-			2	परमिट देने, उसका नवीकरण करने और उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए-		
	(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की-		75, 81, 82		(क) अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की-		75, 81, 82
	(एक) मंजिली गाडी् के लिए	6000.00			(एक) मंजिली गाडी् के लिए	7500.00	
	(दो) माल वाहन के लिए	6000.00			(दो) माल वाहन के लिए	7500.00	
	(तीन) मोटर टैक्सी और बडी् टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी् के लिए	7500.00			(तीन) मोटर टैक्सी और बडी् टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी् के	9000.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

					लिए		
	(चार) प्राइवेट सेवायान के लिए	3750.00			(चार) प्राइवेट सेवायान के लिए	4500.00	
	(पांच) बडी़ टैक्सी के लिए-				(पांच) बडी़ टैक्सी के लिए-		
	(क) एक सम्भाग के लिए	2000.00			(क) एक सम्भाग के लिए	3000.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रेदश के लिए	3750.00			(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	5000.00	
	(छः) मोटर टैक्सी के लिए-				(छः) मोटर टैक्सी के लिए-		
	(क) एक सम्भाग के लिए	1000.00			(क) एक सम्भाग के लिए	2000.00	
	(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रेदश के लिए	2000.00			(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	3000.00	
	(ग) उत्तर प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिए	2000.00			(ग) उत्तर प्रदेश सहित तीन संलग्न राज्यों के लिए	3000.00	
	(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	3200.00			(घ) सम्पूर्ण भारत के लिए	5000.00	
					(सात) मोटर कैब (बाइक टैक्सी)		
					(क) एक सम्भाग के लिए	750.00	
					(ख) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए	1500.00	
	(ख) अस्थायी परमिट की-		74, 75		(ख) अस्थायी परमिट की-		74, 75
	(एक) प्रथम तीन दिन या उसके आंशिक भाग के लिए	375.00			(एक) प्रथम तीन दिन या उसके आंशिक भाग के लिए	450.00	
	(दो) तीन दिनों के बाद, सप्ताह के अंत तक	375.00			(दो) तीन दिनों के बाद, सप्ताह के अंत तक	450.00	
	(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	375.00			(तीन) प्रत्येक अतिरिक्त सप्ताह के लिए	450.00	
3	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिए फीस	225.00	84	3	परमिट के अधीन किसी यान के बदले जाने के लिए आवेदन फीस	270.00	84
4	परमिट के अन्तरण के लिए		87	4	परमिट के अन्तरण के लिए		87
	(एक) मंजिली गाडी़ के लिए	7500.00			(एक) मंजिली गाडी़ के लिए	9000.00	
	(दो) मोटर टैक्सी, बडी़ टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी़ के लिए	7500.00			(दो) मोटर टैक्सी, बडी़ टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी के लिए	9000.00	
	(तीन) माल वाहन की	625.00			(तीन) माल वाहन के	750.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

					लिए		
	(चार) बड़ी टैक्सी	250.00			(चार) बड़ी टैक्सी के लिए	300.00	
	(पांच) मोटर टैक्सी,	250.00			(पांच) मोटर टैक्सी के लिए	300.00	
	(छ:)परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को परमिट के अन्तरण के लिए फीस	खण्ड (एक) से (पांच) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।			(छ:)परमिट धारक की मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को परमिट के अन्तरण के लिए फीस	खण्ड (एक) से (पांच) तक में विनिर्दिष्ट फीस की आधी होगी।	
5	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	125.00	88	5	परमिट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	स्वीकृत परमिट फीस का आधा	88
6	राज्य या संभागीय प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए		91	6	राज्य या संभागीय प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए		91
	(एक) आटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	625.00			(एक) आटो रिक्शा परमिट के सम्बन्ध में	750.00	
	(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1250.00			(दो) परिवहन यान के सम्बन्ध में	1500.00	
7	राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त कोई प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 15.00 रू0	91	7	राज्य परिवहन अपील अधिकरण के समक्ष प्रार्थना से युक्त कोई प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए	कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 20.00 रू0	91
8	प्रतियां देने के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 15.00 रू0 प्रति दस्तावेज प्रति नकल	91, 93	8	प्रतियां देने के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप में 20.00 रू0 प्रति दस्तावेज प्रति नकल	91, 93
9	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिए	संदेय न्यायालय फीस के अतिरिक्त 15.00 रू0 प्रति घण्टा।	95	9	पत्रावलियों के निरीक्षण के लिए	संदेय न्यायालय फीस के अतिरिक्त 20.00 रू0 प्रति घण्टा।	95

http://shasanadesh.up.nic.in

10	परमिट में मोटरयान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिए	65.00	106	10	परमिट में मोटरयान के बदले जाने की प्रविष्टि के लिए	80.00	106
11	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए-		113, 115,116	11	अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए-		113, 115,116
	(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1250.00			(एक) प्रमुख स्थापन की अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1500.00	
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	950.00			(दो) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन हेतु अनुपूरक अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	1140.00	
	(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है-				(तीन) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय के भीतर दिया जाता है-		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1250.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1500.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1000.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1200.00	
	(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय भीतर न किया गया हो-				(चार) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए यदि आवेदन समय भीतर न किया गया हो-		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1500.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1800.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1000.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए पूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	1200.00	
	(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए				(पांच) अभिकर्ता अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए		
	(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	125.00			(क) प्रमुख स्थापन के लिए अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	150.00	
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	100.00			(ख) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन के लिए अनुपूरक अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में।	120.00	
12	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए	250.00	122	12	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिए	300.00	122

http://shasanadesh.up.nic.in

13	किसी दस्तावेज की प्रति के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 10.00 रू0 प्रति नकल	123	13	किसी दस्तावेज की प्रति के लिए	संदेय स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 15.00 रू0 प्रति नकल	123
14	(क) टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने हेतु आवेदन के लिए।	125.00	124	14	(क) टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने हेतु आवेदन के लिए।	150.00	124
	(ख) सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किय जाने आदि के लिए।		124		(ख)सार्वजनिक सेवायान द्वारा यात्रा के लिए टिकटों की बिक्री के लिए अभिकर्ता अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिए।		124
	(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	250.00			(एक) अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए	300.00	
	(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के लिए	250.00			(दो) अनुज्ञप्ति का नवीकरण किये जाने के लिए	300.00	
	(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	60.00			(तीन) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	80.00	
	(ग)(एक) बैज जारी करने के लिए	125.00			(ग)(एक) बैज जारी करने के लिए	150.00	
	(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	250.00			(दो) बैज की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	300.00	

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4(1)/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-4(2)/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 26 फरवरी, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय/परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-4(3)/2019/215/तीस-4-2019-4(02)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वह कृपया निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा राजकीय मुद्रणालय से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं प्रकाशित अधिसूचना की पेपर कटिंग शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- विधायी अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/2019/ 215 /XXX-4-2019-4(2)/2010, dated 26 February, 2019.

Notification

No.4/2019/215/XXX-4-2019-4(02)/2010
Lucknow: Dated: 26 February, 2019

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 96 of the Motor Vehicles Act,1988(Act no.59 of 1988) read with clause (xxiii) of sub-section(2) of the said section and section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after their previous publication in the Gazette vide Government notification no. 45 /1040/2018/XXX-4-2018-4(2)/2010, dated 19 July, 2018, as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (TWENTY FOURTH AMENDMENT) RULES, 2019

Short title and commenceme

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Fourth Amendment) Rules, 2019;

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Gazette.

Amendment of rule 125

2- In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 in rule 125 for the existing table set out in Column-1 below, the table as set out in the Column-2 shall be substituted, namely:--

Column-1 Existing Table TABLE				Column-2 Table as hereby substituted TABLE			
Sl. No.	Purpose	Amount	Rule	Sl. No.	Purpose	Amount	Rule
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Application fee for grant, renewal, transfer and countersignature of permit other than the temporary permit-		64	1	Application fee for grant, renewal, transfer and countersignature of permit other than the temporary permit-		64
	(a) Motor Cab	500.00			(a) Motor Cab	500.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	(b) Omni bus or Goods Carriage.	1000.00			(Bike Taxi) (b) Motor Cab (c) Omni bus or Goods Carriage.	 600.00 1200.00	
2	For grant, renewal and countersigning of permit-			2	For grant, renewal and countersigning of permit-		
	(A) of Permit other than temporary permit-		75,81, 82		(A) of Permit other than temporary permit-		75,81, 82
	(i) for stage carriage	6000.00			(i) for stage carriage	7500.00	
	(ii) for goods carriage	6000.00			(ii) for goods carriage	7500.00	
	(iii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab.	7500.00			(iii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab.	9000.00	
	(iv) for Private Service Vehicle	3750.00			(iv) for Private Service Vehicle	4500.00	
	(v) for maxi cab -				(v) for maxi cab -		
	(a) for one region	2000.00			(a) for one region	3000.00	
	(b) for whole of Uttar Pradesh	3750.00			(b) for whole of Uttar Pradesh	5000.00	
	(vi) for motor cab -				(vi) for motor cab -		
	(a) for one region	1000.00			(a) for one region	2000.00	
	(b) for whole of Uttar Pradesh	2000.00			(b) for whole of Uttar Pradesh	3000.00	
	(c) for three contiguous States including Uttar Pradesh	2000.00			(c) for three contiguous States including Uttar Pradesh	3000.00	
	(d) for whole of India	3200.00			(d) for whole of India	5000.00	
	--				(vii) Motor Cab (Bike Taxi)		
					(a) for one region	750.00	
					(b) for whole Uttar Pradesh	1500.00	
	(B) Of temporary permit -		74,75		(B) Of temporary permit -		74,75
	(i) for first three days or part there	375.00			(i) for first three days or	450.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	of				part there of		
	(ii) after three days up to end of the week.	375.00			(ii) after three days up to end of the week.	450.00	
	(iii) for every additional week	375.00			(iii) for every additional week	450.00	
3	Application fee for replacement of a vehicle under a permit	225.00	84	3	Application fee for replacement of a vehicle under a permit	270.00	84
4	For Transfer of permit-		87	4	For Transfer of permit-		87
	(i) for stage carriage	7500.00			(i) for stage carriage	9000.00	
	(ii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab	7500.00			(ii) for contract carriage other than motor cab and maxi cab	9000.00	
	(iii) for goods carriage	625.00			(iii) for goods carriage	750.00	
	(iv) for maxi cab	250.00			(iv) for maxi cab	300.00	
	(v) for motor cab	250.00			(v) for motor cab	300.00	
	(vi) fee for transfer of permit to the legal heirs of the permit holder in the event of his death shall be	Half of the fee specified in clause (i) to (v)			(vi) fee for transfer of permit to the legal heirs of the permit holder in the event of his death shall be	Half of the fee specified in clause (i) to (v)	
5	For issue of a duplicates permit-	125.00	88	5	For issue of a duplicates permit-	Half of the Grant Permit fee	88
6	For appeal against the order of the State of Regional Authority-		91	6	For appeal against the order of the State of Regional Authority-		91
	(i) in respect of Auto rickshaws permit	625.00			(i) in respect of Auto rickshaws permit	750.00	
	(ii) in respect of transport vehicle-	1250.00			(ii) in respect of transport vehicle-	1500.00	
7	For filing any	15.00 in	91	7	For filing any	20.00 in	91

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	miscellaneous application containing a prayer before the State Transport Appellate Tribunal	the form of court fee Stamp			miscellaneous application containing a prayer before the State Transport Appellate Tribunal	the form of court fee Stamp	
8	For Supply of copies	15.00 per copy per document in the form of court fee stamp in addition to the Stamp duty payable	91,93	8	For Supply of copies	20.00 per copy per document in the form of court fee stamp in addition to the Stamp duty payable	91,93
9	For inspection of files	15.00 per hour in addition to court fee payable	95	9	For inspection of files	20.00 per hour in addition to court fee payable	95
10	For entry of alteration of motor vehicle in the permit	65.00	106	10	For entry of alteration of motor vehicle in the permit	80.00	106
11	For grant or renewal of Agent's Licence-		113, 115, 116	11	For grant or renewal of Agent's Licence-		113, 115, 116
	(i)For grant of Licence for principal establishment	1250.00			(i) For grant of Licence for principal establishment	1500.00	
	(ii) for grant of Supplementary Licence of each additional establishment	950.00			(ii) for grant of Supplementary Licence of each additional establishment	1140.00	
	(iii) for renewal of Agent's Licence if application is made within time-				(iii) for renewal of Agent's Licence if application is		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

					made within time-		
	(a) in respect of Licence for principal establishment	1250.00			(a) in respect of Licence for principal establishment	1500.00	
	(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1000.00			(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1200.00	
	(iv) for renewal of Agent's Licence if application is not made within time-				(iv) for renewal of Agent's Licence if application is not made within time-		
	(a) in respect of Licence for principal establishment	1500.00			(a) in respect of Licence for principal establishment	1800.00	
	(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1000.00			(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	1200.00	
	(v) for issue of duplicate Agent's Licence-				(v) for issue of duplicate Agent's Licence-		
	(a) in respect of Licence for principal establishment	125.00			(a) in respect of Licence for principal establishment	150.00	
	(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	100.00			(b) in respect of Supplementary Licence for each additional establishment	120.00	
12	For appeal against the order of Licensing Authority	250.00	122	12	For appeal against the order of Licensing Authority	300.00	122
13	For copy of document	10.00 per copy in addition	123	13	For copy of document	15.00 per copy in addition	123

http://shasanadesh.up.nic.in

		to the Stamp duty payable				to the Stamp duty payable	
14	(A) for application for grant of renewal of Agent's Licence for sale of tickets-	125.00	124	14	(A) for application for grant of renewal of Agent's Licence for sale of tickets-	150.00	124
	(B) For grant or renewal of Agent's Licence for sale of tickets for travel by public service vehicle-		124		(B) For grant or renewal of Agent's Licence for sale of tickets for travel by public service vehicle-		124
	(i) for grant of Licence	250.00			(i) for grant of Licence	300.00	
	(ii) for renewal of Licence	250.00			(ii) for renewal of Licence	300.00	
	(iii) for issue of duplicate Licence	60.00			(iii) for issue of duplicate Licence	80.00	
	(C) (i) for issue of a badge	125.00			(C) (i) for issue of a badge	150.00	
	(ii) for issue of a duplicate badge	250.00			(ii) for issue of a duplicate badge	300.00	

By Order

(Aradhana Shukla)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in